फर्द अहकाम

अज अदालत–**न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर**

दीपचन्द बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र नम्बर 25/2020

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज**	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये**
01.06.2020	प्रार्थी सुपुर्दगार दीपचन्द व उनके अभिभाषक उपस्थित । सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अभिभाषक को सुना । उनका कथन है कि प्रार्थी वाहन मारूती ओमनी नम्बर आर.जे.02–यू.ए.6289 का रजिस्टर्ड स्वामी है। प्रार्थी दिनांक 19.03.2020 को अपनी मां के इलाज हेतु जा रहा था,तो अचानक प्रार्थी का वाहन डीग चुंगी के पास मोती मैरिज कस्बा नगर के पास पहुंचा तो वाहन में पेट्रोल व गैस खत्म हो गया । प्रार्थी के वाहन खडा होने पर जिला स्पेशल टीम भरतपुर द्वारा प्रार्थी का वाहन बिना किसी कारण के गलत प्रकार से धारा 6ए में जब्त कर लिया है । प्रार्थी का वाहन खुले में खडा होने से उसके टायर, ट्यूब व इंजन खराब होने का पूर्ण अंदेशा है । प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी में लेने हेतु सुपुर्दनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार है । उक्त वाहन जब न्यायालय द्वारा चाहा जायेगा, तब पेश कर दिया जावेगा । प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन को सुपुर्दगी में दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है । प्रकरण में पैरोकार रसद को भी सुना । पैरोकार रसद ने जाहिर किया है कि प्रकरण धारा 6ए, ईसी एक्ट सरकार बनाम राहुल तिवारी बगै0 न्यायालय में विचाराधीन है,जिसमें अभी निर्णय होना शेष है । प्रकरण में प्रार्थी का उक्त वाहन एवं 10 गैस सिलण्डर व अन्य सामान भी जब्त किया है । जब्त सामान की साक्ष्य में आवश्यकता होती है । न्यायालय अगर चाहे तो शर्त के आधार पर वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने का विचार कर सकता है । ————2 (2) पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी सुपुर्दगार की प्रार्थना पर गौर किया प्रकरण धारा 6ए,ईसी एक्ट में उक्त वाहन मारूती ओमनी कार रजिस्टर्ड नम्बर आर.जे.02–यू.ए.6289 को जब्त किया गया, प्रकरण धारा 6ए,ईसी एक्ट में समय लगने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी सुपुर्दगार दो लाख रूपये का	

सुपुर्दनामा व दो लाख रूपये का जमानतनामा इन शर्तो का पेश करे कि वह दौराने मुकदमा उक्त वाहन को दीगर जगह रहन–वय, मुन्तकिल नहीं करेगा, रंग बगै0 नहीं बदलेगा तथा न्यायालय हाजा द्वारा वाहन को चाहे जाने पर स्वंय के खर्चे पर पेश करेगा, तो जब्त उक्त वाहन को प्रार्थी सुपुर्दगार को सुपुर्दगी में दिया जाये।

प्रार्थी सुपुर्दगार दीपचन्द पुत्र टोडरमल जाति ब्राहम्ण उम्र 44 साल निवासी पचौरी मौहल्ला कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर ने वांछित शर्तो के साथ दो लाख रूपये का सुपुर्दनामा पेश किया तथा जामिन रामप्रसाद पुत्र देवीसिंह जाति माली निवासी महादेव का रास्ता कस्बा नगर जिला भरतपुर ने वांछित राशि व वांछित शर्तो का जमानतनामा पेश किया । सुपुर्दगार व जामिन की पहचान एडवोकेट प्रहलाद सिंह ने की। सुपुर्दनामा व जमानतनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये ।

अतः जिला रसद अधिकारी भरतपुर को इस आशय कि कैफियत जारी हो कि प्रकरण धारा 6ए, ईसी एक्ट राजस्थान सरकार बनाम राहुल तिवारी बगै0 में जब्त वाहन मारूती ओमनी नम्बर आर.जे.02–यू.ए.6289 किसी अन्य प्रकरण में वांछित (Wanted) नहीं हो तो सुपुर्दगार दीपचन्द पुत्र टोडरमल जाति ब्राहम्ण उम्र 44 साल निवासी पचौरी मौहल्ला कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर की सुपुर्दगी में दिया जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही मूल पत्रावली धारा 6ए,ईसी एक्ट सरकार बनाम राहुल तिवारी बगै0 में संलग्न हो ।

जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.07.02 16:31:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: